राजस्थान–सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

क्रमांक प01/प्रति–3/जू.न.क./नियु./2015/ 6260 दिनांक 22/4/2018

आदेश

शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.5(62)आयु./2015 दि. 20.04.2018 के कम मे अवमानना याचिका संख्या 1320/17 शैतानराम बनाम प्रमुख शासन सचिव व अन्य (अन्तर्गत एस. बी.सी. रिव्यू पिटिशन संख्या 75/2017) में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.08.2017 की पालना मे अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप पी.एच. संवर्ग में पात्र पाये जाने पर वित्त विभाग के नोटिफिकेशन कमांक एफ.15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.17 अन्तर्गत जूनियर कम्पाउण्डर/नर्स के पद पर Level in Pay Matrix (L-10) में कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष परिवीक्षा प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) पर मासिक नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेमूनरेशन) रू 23700/–(अक्षरे रूपये तेईस हजार सात सौ रूपये मात्र) पर निम्न शर्तो पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र. स.	वरियता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	लिंग	संवर्ग
1	221–ए	शैतान राम	मोटा राम	10-07-1988	M	PH

1. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. नं. 31154, 31155/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम यदुवेन्द्र शांडिल्य एवं अवमानना याचिका संख्या 1320/17 शैतानराम बनाम प्रमुख शासन सचिव व अन्य (अन्तर्गत एस.बी.सी. रिव्यू पिटिशन संख्या 75/2017) पारित आदेश दिनांक 24.08.2017 के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर की जाने वाली एस.एल.पी. में पारित किये जाने वाले किसी भी आदेश/निर्णय (Subject to any order/decision) के अध्यधीन रहेगी।
2. उक्त नियुक्ति उक्त पदों एवं इस भर्ती के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर एवं अन्य न्यायालयों में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं में पारित आदेश/निर्णय एवं अन्तिम निर्णय के अध्यधीन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति/तथ्य के प्रकरणों में दिये जाने वाले निर्णयों/आदेशों के अध्यधीन रहेगी।
3. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2) वित्त/नियम–06 दिनांक 13.03.2006 एवं अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.17 व दि. 09.12.17 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. राज्य सरकार के मेमोरेण्डम कमांक प.13(1)वित्त/नियम/2003 दि. 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।

निर्देशः–

1. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के अन्दर अन्दर अपनी उपस्थिति निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर के कार्यालय मे आवश्यक रूप से देगें, जिसके लिए इन्हें कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा। निर्धारित समयावधि में कार्य ग्रहण नही करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।
2. निदेशालय मे उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक योग्यता एवं तकनिकी योग्यता से संबधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/संतान संबधी प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/दहेज संबंधी प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण के समय प्रस्तुत करने होंगे।
3. अभ्यर्थी द्वारा परीविक्षा कालावधि के दौरान या परीविक्षा के समाप्ति के 2 वर्ष के भीतर त्यागपत्र दे देता है या अन्यत्र कोई नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे प्रदत्त की गई परिलब्धियों की दोगुना राशि राजकोष में जमा करानी होगी, तथापि यात्रा एवं दैनिक भत्तों के रुप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी इस बाबत बंधक पत्र निष्पादित करेगा।
4. अभ्यर्थी उपस्थिति के समय एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके संबंध में कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह अपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागी होगा।
5. उक्त नियुक्ति आदेश में अंकित अभ्यर्थी यदि पूर्व से विभाग में संविदा/अनुबन्ध/ग्रा0नर्स कम्पा0 के रूप में सेवाये दे रहा है तो उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में ड्युटी ज्वाईन करने पर उनका संविदा/अनुबन्ध/ग्रा0नर्स कम्पा0 के पद के आदेश तुरन्त प्रभाव से समाप्त माना जावेगा।
6. विभागान्तर्गत ग्रामीण आयुर्वेद नर्स/कम्पा0 अथवा परिचारक के पद की सेवाओ के अतिरिक्त अन्यत्र सेवाये दे रहे कार्मिको को उक्त नियुक्ति आदेश के कम में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपना त्याग पत्र स्वीकृत कराकर प्रस्तुत करना होगा।
7. **उपर्युक्त की नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण रिपोर्ट तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी।**

(स्नेहलता पंवार)
निदेशक

क्रमांक प01/प्रति–3/जू.न.क./नियु./2015/ 6260 दिनांक 22/4/2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतुः–

1. शासन उपसचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर को पत्रांक प.5(62)आयु./2015 दि. 20.04.2018 के संदर्भ में।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. निदेशक, होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सा विभाग राज. जयपुर।
5. उप विधि परामर्शी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
6. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावें तथा संबंधित कार्यालयों को ई–मेल करावें।
7. संबंधित अभ्यर्थी श्री शैतानराम पुत्र श्री मोटाराम ग्राम व पोस्ट डांवरा, तहसील बावडी जिला–जोधपुर (राजस्थान) 342037 **(रजिस्टर्ड)**
8. सामान्य पत्रावली।

(आनन्द कुमार शर्मा)
अति0निदेशक(आयु0)